न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 04/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/30

निगरानीकार	बनाम	गैरनिगरानीकार
रामस्वरूप विश्नोई पुत्र स्व0 श्री थानाराम, जाति विश्नोई, निवासी गच्छीपुरा, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन।		1. मीरा देवी पत्नी श्री मोहनराम, जाति विश्नोई, निवासी गच्छीपुरा, तहसील मकराना। 2. सरपंच, ग्राम पंचायत, गच्छीपुरा, पंचायत समिति मकराना। 3. ग्राम विकास अधिकारी/पदेन सचिव ग्राम गच्छीपुराम, तहसील मकराना।

निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत, गच्छीपुरा के द्वारा जारी मिसल संख्या 04 पट्टा संख्या 09 दिनांक 13.07.1998 को निरस्त कराने बाबत्।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम

–:निर्णयः– दिनांक : 29.10.2025

निगरानीकार की ओर से निगरानी के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार से हैः–

गैरनिगरानीकार संख्या 01 मीरा देवी ने ग्राम पंचायत, गच्छीपुरा में मिलीभगत करके एक आवासीय पट्ट जिसके मिसल संख्या 04 तारीख दायरा 16.05.1998 पट्टा संख्या 09 गलत रूप से जारी करवा लिया तथा उक्त भममि का ग्राम पंचायत गच्छीपुरा ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि ग्राम पंचायत गच्छीपुरा द्वारा पट्टा संख्या 09 अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर 9348 वर्गफुट का पट्टा जारी किया गया है तथा एक ही परिवार के तीन सदस्य मोहनराम, राजेन्द्र व मीरा देवी के नाम से अलग–अलग तीन पट्टे जारी किये गये है, ग्राम पंचायत को एक ही परिवार के तीन सदस्यों को अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करके पट्टे जारी किये गये है।

अतः निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से पेश कर निवेदन है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमाई [illegible] गच्छीपुरा के द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 मिसल संख्या 04 जारी दिनांक 1[illegible] 19[illegible] को निरस्त फरमाये।

प्रकरण में कार्यालय हाजा के पत्र [illegible] कोर्ट/2025/28[illegible] दिनांक 22.07.2025 के द्वारा तहसीलदार मकराना से [illegible] ली गई। तहसीलदार [illegible] के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 14:59:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

पत्रांक कोर्ट/2025/814 दिनांक 24.10.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार मकराना के पत्र क्रमांक कोर्ट/2025/656 दिनांक 04.09.2025 विकास अधिकारी पंचायत समिति मकराना को पत्र जारी कर रिपोर्ट तलब की गई जिनकी रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे ग्राम पंचायत ईटावा बामणियां (गच्छीपुरा) द्वारा कृषि भूमि में पट्टा जारी करने से सम्बन्धित है। चूंकि उक्त प्रकरण में कृषि भूमि का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है। तत्पश्चात् इस बाबत् भू अभिलेख निरीक्षक गच्छीपुरा एवं पटवारी हल्का गच्छीपुरा को प्रकरण की जाँच हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कार्मिकों द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया गया कि ग्राम ईटावा बामणियां (गच्छीपुरा) के खसरा संख्या 64 रकबा 8.1746 हैक्टेयर गै.मु. आबादी के नाम दर्ज है। पट्टे की छाया प्रति में खसरा संख्या का उल्लेख नहीं है एवं पट्टों से सम्बन्धित मिसल के संदर्भ में कार्यालय ग्राम पंचायत ईटावा बामणिया द्वारा पत्र क्रमांक 130 दिनांक 27.06.2025 अनुसार पट्टा संख्या 07/13.07.1998, 08/13.07.1998 एवं 09/13.07.1998 की प्रतियां ही रेकॉर्ड में उपलब्ध होना बताया। चूंकि विषयक प्रकरणों में पट्टे पर खसरा संख्या दर्ज नहीं है एवं मिसल व अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है जिससे प्रकरण में जाँच सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत ईटावा बामणिया में कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने उक्त पट्टा संदेहास्प्रद प्रतीत होता है। उक्त पट्टा संदेहास्प्रद होने के कारण ग्राम पंचायत ईटावा बामणियां द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 13.07.1998 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **29.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

29.10.2025
(डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर,
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 14:59:55 IST
Reason: SelfAttested